

<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर- 154/2022 विमला देवी वगै० बनाम विद्याधर वगै० दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती,घोषणा, विभाजन एवं रथाई निषेधाज्ञा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>3 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपरिथत। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 2850, 2851, 2852, 4677/2853, 4678/2853 व 4676/2853 के वादीगण खातेदार काशतकार नहीं है। वादीगण दावे में वर्णित विवादित आराजी पर किस प्रकार के अधिकार रखते हैं कहीं भी दावे में दर्ज नहीं है तथा न ही दावे में चाही गयी अनुतोष में वादग्रस्त भूमि के किसी खसरा नम्बरान की स्पष्ट रूप से घोषणा चाही गई है। वादीगण दावे में दर्ज खसरा नम्बरान की नपती कर जमीन दिलाने बाबत अनुतोष चाहा है जबकि खातेदार ही जमीन की नपती करवा सकता है जिसका धारा 110 व धारा 111 एल. आर. एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादकारण पैदा नहीं होता, अतः वादी का वाद खारिज करवाने बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 112/2021 उनवान दिनेश बनाम सरकार पूर्व से इस न्यायालय में विचाराधीन है उसमें कार्यवाही रोकने हेतु यह वाद वादीगण द्वारा लाया गया है। तदुपरान्त वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर खसरा नं. 2558 व 2560 का रकबा 2082 वर्ग गज कम है। यह भूमि वादीगण के पिता की खातेदारी की है। उपरोक्त भूमि का रकबा मौके पर पूरा करने के लिए वादकारण पैदा होता है। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 के अनुसार खसरा नं. 2850, 2851, 2852, 4677/2853, 4678/2853 व 4676/2853 में 0.1736 वर्ग मीटर भूमि नपती में ज्यादा है जो वादीगण के हक हिस्से में आनी चाहिये।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी., जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, फर्द रिपोर्ट तहसीलदार दिनांकित 01.08.2022 व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया व बहस विद्वान अधिवक्तागण पर बगौर मनन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि (i) खसरा नं. 2558, 2560 किता 2 का कुल रकबा 0.58 है जो कि संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अनुसार वर्तमान में नगर परिषद झुंझुनूं के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण इस भूमि में खातेदार नहीं हैं। नगर परिषद झुंझुनूं जिसके नाम यह भूमि दर्ज रिकॉर्ड है को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। (ii) रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि विवादित आराजी की प्लॉटिंग हो गई है तथा छोटे छोटे भूखण्डों में विक्रय हो रही है (iii) वादीगण दावे में वर्णित विवादित आराजी पर किस प्रकार से अधिकार रखते हैं यह न ही दावे में और न ही बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. में स्पष्ट किया है। रिपोर्ट तहसीलदार से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जिन खसरा नम्बरान (विवादित आराजी) में भूमि ज्यादा है वह किस खसरे की भूमि है। साथ ही रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु विवादित आराजी से संबंधित एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पूर्व से ही इस न्यायालय में विचाराधीन है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बाद अवलोकन समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा :-</p>	

उपरोक्त अधिकारी  
(राज.)

-: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादीगण वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 11.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
शु. सुन्नुनू